न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 62/2021 GCMS NO 2021/
दायरा तिथि : 22.10.2021
आदेश तिथि :
प्रार्थी :–
प्रतापराम पुत्र राईगरामजी जाति रेबारी
निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली (राज0)
ब ना म
अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 28-2-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की सह खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 544, 545, 446, 547 रकबा क्रमशः 0.32 हैक्टर, 0.31 हैक्टर, 0.57 हैक्टर, 0.84 हैक्टर किस्म बारानी बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम कोठार तहसील के खसरा नंबर 554, 560 रकबा क्रमशः 0.91 हैक्टर व 0.67 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 20 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/380 दिनांक 14.02.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 446 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 545 रकबा 0.31 हैक्टर व खसरा नंबर 547 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि श्री प्रतापराम पुत्र राईगराम जाति रेबारी निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली के नाम की खातेदारी भूमि है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

| क्र. स. | खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | किस्म | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 0.67 हैक्टर | बारानी सोयम | 6x 88=528 वर्गमीटर | राजकीय सिवायचक भूमि |
| 2 | 554 | 0.91 हैक्टर | बारानी सोयम | 6x 92=552 वर्गमीटर | राजकीय सिवायचक भूमि |

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी. दर 93870/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 446, 545, 547 रकबा क्रमशः 0.57 हैक्टर, 0. 31 हैक्टर, 0.84 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार...02

Scanned with CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 62/2021 GCMS NO 2021/**
**अनवान प्रतापराम बनाम तहसीलदार, बाली**
***अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955***

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सह खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 544, 545, 446, 547 रकबा क्रमशः 0.32 हैक्टर, 0.31 हैक्टर, 0.57 हैक्टर, 0.84 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम कोठार** के खसरा नंबर 560,554 किस्म बारानी सोयम मेंसे कुल **1080** वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

| खसरा नंबर | रकबा हैक्टर में | रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल | डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये | देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 93870/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि | नाम खातेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 0.67 हैक्टर | 6X 88=528 वर्गमीटर | 9.387 | **4956x2= 9913** | राजकीय सिवायचक भूमि |
| 554 | 0.91 हैक्टर | 6X 92=552 वर्गमीटर | 9.387 | **5182 x2= 10364** | राजकीय सिवायचक भूमि |

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार सिवायचक भूमि की देय प्रतिकर राशि 20277/– **(अक्षरे बीस हजार दो सौ सित्तर रूपये मात्र )** रूपये आवेदक द्वारा राजकोष में जमा कराई जावेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

( सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना )
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 28-02.2022

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

क्रमॉक/कोर्ट/2022/ 608-612
**प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–**

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रतापराम पुत्र राईगराम जाति रेबारी निवासी कोठार तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली,जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner